कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेसविज्ञप्ती (25/26, दिनांक 13.05.2026)

खैर वनोपज के अवैध व्यापार में शामिल उत्तर प्रदेश निवासी मुख्य सरगना को घाटीगांव ग्वालियर से एसटीएसएफ मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी व वनमंडल शिवपुरी वनमंडल ग्वालियर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

सामान्य वनमंडल शिवपुरी के वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा अंतर्गत शिकार, अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन संबंधी दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 823/02, दिनांक 07.05.2025 में संलिप्त फरार आरोपी की तलाश हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा दल बनाकर राज्य के बाहर हरियाणा व राजस्थान भेजा गया जिनके द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर छापामार कार्यवाही की तथा खैर के अवैध व्यापार के मुख्य सरगना अनूप यादव पुत्र सुरेश यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी झांसी खास, सीपरी बाजार, जिला झांसी (उ.प्र) को दिनांक 10.05.2026 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी, वनमंडल शिवपुरी एवं वनमंडल ग्वालियर द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही के दौरान घाटीगांव, जिला ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा खैर की अवैध कटाई कराकर अवैध परिवहन हरियाणा किया गया है।

दिनांक 11.05.2026 को आरोपी अनूप यादव को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के समक्ष पेश किया जा चुका है। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में सर्किल जेल शिवपुरी में निरूद्ध है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उक्त आरोपी के विरुद्ध खैर के अवैध व्यापार एवं परिवहन से संबंधित वन विभाग के कुल 02 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं। इनमें प्रथम प्रकरण वनमंडल शिवपुरी (सामान्य) के वन परिक्षेत्र शिवपुरी अंतर्गत तथा द्वितीय प्रकरण वनमंडल दतिया के वन परिक्षेत्र गोराघाट अंतर्गत दर्ज है। इसके अतिरिक्त थाना गोराघाट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत वन अमले पर जानलेवा हमला किए जाने संबंधी प्रकरण भी पंजीबद्ध है। आरोपी का संगठित गिरोह घाटीगांव-ग्वालियर, सतनवाड़ा-शिवपुरी एवं मुरैना क्षेत्र में सक्रिय होकर खैर के अवैध व्यापार एवं परिवहन गतिविधियों में संलिप्त है। उक्त क्षेत्रों से खैर की अवैध कटाई करवाकर ट्रक से हरियाणा भेजी जाती है। खैर वनोपज की तस्करी संगठित गिरोह के द्वारा देश के कई राज्यों में की जा रही है, जिसकी उपयोग पान मसाला, कत्था बनाने में किया जाता है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल